SSR-2017-8

ईमेल/डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक : एफ.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2016/SSR-2017/4362 जयपुर, दिनांकः 29.11.2016

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी**
(कलक्टर), राजस्थान ।

विषयः मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम– 2017 के संबंध में।

संदर्भः निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान की तिथि को किये गये निरीक्षण के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम– 2017 के अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान कुछ कमियॉ ज्ञात हुई जिनके आधार पर निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

2. कुछ मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित नहीं पाये गये एवं उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों को भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में उचित जानकारी का अभाव पाया गया।

   अतः आगामी विशेष अभियान तिथि दिनांक 04.12.2016 को समस्त मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य के संबंध में दिशा–निर्देशों की प्रति बीएलओ को प्रदान करें।

3. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षकों की भूमिका नगण्य पायी गई।

   अतः सभी पर्यवेक्षकों को फील्ड में भेजे एवं पर्यवेक्षको द्वारा बीएलओ के कार्य की Monitoring करवायें। उनके द्वारा किये गये कार्यों की मोनिटरिंग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जावे।

4. विभिन्न राजकीय निजी भवनों मे संचालित मतदान केन्द्रों पर ताला लगा हुआ था और समस्त बीएलओ बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। उनके लिए कोई सुविधायें भी उपलब्ध नही कराई गई।

   सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करें कि आगामी तिथि दिनांक 04.12.2016 को समस्त मतदान केन्द्र (राजकीय एवं निजी) खुले रहें एवं सभी में आवश्यक मूलभूत सुविधायें भी उपलब्ध रहें।

5. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में किसी मतदान केन्द्र पर कोई सूचना अंकित नहीं पाई गई।

   निर्वाचन विभाग द्वारा भेजा गया पोस्टर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर लगवायें एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र पर भाग संख्या, बीएलओ का नाम, भाग का विस्तार (अनुभागो का नाम) भी अंकित करायें।

6. कुछ मतदान केन्द्रों का नाम पुराना अंकित है जबकि मतदान केन्द्र Upgrade हो गया है।

   अतः मतदाता सूची में समस्त मतदान केन्द्रों के Upgraded नाम अंकित करवायें।

7. **प्रपत्र 6 के साथ आवेदक के दो फोटोग्राफ लिये जा रहे हैं जबकि स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि आवेदन पत्र पर जो फोटो चस्पा किया जायेगा उसके अलावा और कोई फोटो नहीं लेना है। Duplicate के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन पत्र के साथ भी फोटोग्राफ लिया जा रहा है जबकि Duplicate प्रति के लिए फोटोग्राफ की आवश्यकता नही है एवं प्रपत्र 8 में यदि फोटो में संशोधन कराया जाना हो तो ही फोटोग्राफ लिया जायेगा अन्यथा फोटोग्राफ लेने की आवश्यकता नही है।**

8. Duplicate **फोटो पहचान पत्र बनावाने के लिए आवेदक से 25 रूपये का शुल्क बीएलओ के द्वारा** लिया जा रहा है किन्तु उसकी रसीद आवेदक को नही दी जा रही है।

यह सुनिश्चित करें कि शुल्क की रसीद GA-55 में आवेदक को आवश्यक रूप से प्रदान की जायें।

9. पिछले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रपत्र 6 में जो आवेदन प्राप्त हुये थे अथवा प्रपत्र 8 में जो संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे उनके मतदाता पहचान पत्र आवेदको को वितरित नहीं किये गये हैं।

ऐसे मतदाता पहचान पत्रो का वितरण तुरंत करवायें एवं दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि पूरक सूची 7 तक पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

10. प्रपत्र 6 के भाग IV की पूर्ति नहीं करवाई जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के इस संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश हैं कि भाग IV की पूर्ति आवश्यक रूप से करवायें।

सभी बीएलओ को निर्देशित करें कि भाग IV की पूर्ति आवश्यक रूप से करवाये जिसमें मतदाता सूची का विवरण एवं मतदाता पहचान पत्र का कमांक अंकित करवाये। यदि आवेदक यह कहता है कि उसका भारत में किसी मतदाता सूची में नाम अंकित नही है और उसके पास कोई फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इस आशय का कथन भाग IV में आवेदक से करवायें।

11. मतदाता सूची के परिशिष्ट–2 में मतदान केन्द्र के विस्तार के अन्तर्गत मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में सम्मिलित सभी अनुभागों का उल्लेख किया गया है। अनुभागवार मतदाता सूची में परिशिष्ट–2.2 में अनुभाग की संख्या एवं नाम लिखा जाता है जो कि इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए **"अनुभाग संख्या – 1: अनुभाग का नाम"** अकित किया जाना चाहिए। इस हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

12. मतदान केन्द्र के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करते समय मतदान केन्द्रों की नम्बरिंग रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका–2008 के अध्याय–2 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नहीं की गई है। एक ही भवन में स्थापित एक से अधिक मतदान केन्द्रों के नम्बर लगातार क्रम संख्या में नहीं है।

मतदान केन्द्रों के आगामी पुनर्गठन की कार्यवाही के दौरान इस प्रकार की विसंगतियों को ठीक किया जावे।

13. बूथ लेवल अधिकारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित, स्थानान्तरित एवं मृत मतदाताओं का सर्वे कर इन्हें सूचीबद्ध किया जाये तथा दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद उक्त सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवायी जावे। इसी प्रकार से मतदाता सूची में चिन्हित की गई त्रुटियों की सूची भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही बूथ लेवल अधिकारी उनको आवंटित भाग के मतदान केन्द्र के भवन में उपलब्ध सभी आधारभूत सुविधाओं (AMF) की सूचना उपलब्ध करवायें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के आधार पर निर्धारित समय में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

14. मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्तावों के अनुसार ERMS पर मतदाता सूची पुनर्गठित करते समय एक भाग के कुछ मतदाता दूसरे भाग में सम्मिलित हो गये हैं।

इस प्रकार के मतदाताओं को सही भाग में लाने की कार्यवाही पूरक सूची के माध्यम से पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान की जाये।

15. दिनांक 27.11.2016 तथा दिनांक 04.12.2016 को जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रों के भ्रमण की रिपोर्ट निम्न प्रपत्र में प्रेषित करें –

क्र सं.	जिले का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	DEO/Dy. DEO/ ERO/AERO	नॉर्मस के अनुसार भ्रमण की संख्या	दिनांक 27.11.2016 को किये भ्रमण की संख्या	दिनांक 04.12.2016 को किये भ्रमण की संख्या	कुल भ्रमण की संख्या
1								
2								

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2016/SSR-2017/4362 जयपुर, दिनांकः 29.11.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
2. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) कृपया उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राज0 जयपुर